जैवविविधता अधिनियम-2002 एवं जैवविविधता नियम, 2004 के अन्तर्गत

स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबन्धन समितियों का गठन

हिमाचल प्रदेश जैवविविधता बोर्ड

राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद्, हिमाचल प्रदेश
34 – एस.डी.ए. परिसर, कसुम्पटी, शिमला – 171 009

जैवविविधता क्या है ?

पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों का समूह है जैवविविधता। जैवविविधता **(Biodiversity)** का शाब्दिक अर्थ है जीवित प्राणी जगत मे विभिन्नता एवं अनेकता। इसमें सभी प्रकार के प्राणी यानि एक कोशकीय जैसे वायरस **(Virus)** व जीवाणु **(Bacteria)** से लेकर सूक्ष्म, छोटे तथा बड़े पेड़-पौधे तथा जीव-जन्तु तथा पर्यावरण में जिस प्रकार यह प्राणी जगत समूह आपस में आन्तरिक व पारस्परिक तौर पर तथा पारिस्थितिक तंत्र में भिन्नता रखते हैं को कहते हैं।

जैवविविधता का महत्व

जैवविविधता हमारी रोजमर्रा के जीवन एवं आजीविका का अहम संसाधन है जिस पर परिवार, समुदाय, राष्ट्र एवं भावी पीढ़ियां निर्भर करती हैं। जैवविविधता धरती पर एक ऐसा भण्डार है जहां से मनुष्य की खाद्य, वस्त्र, आश्रय, ईंधन, चारा, औषधी, आध्यात्मिक, मनोरंजन तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैवविविधता से आवश्यक पारिस्थितिकीय कार्य सुनिश्चित होते हैं जिन पर हमारा जीवन निर्भर करता है तथा इसमें स्वच्छ जल की निंरतर आपूर्ति, पोषक चक्र, मृदा अनुरक्षण भी शामिल है। प्रत्येक जैविक रूपी संसाधन जैवविविधता के अभिन्न अंग हैं तथा पर्यावरण में सभी जैविक घटक का अपना योगदान है। आज के विकासशील दौर में पर्यावरण सन्तुलन के लिए धरती पर प्राकृतिक जीवित संसाधनों के वैज्ञानिक तौर तरीकों से प्रबन्धन की आवश्यकता है।

जैविक संसाधनों पर बढ़ते दबाव

जैविक संसाधनों के वास्तविक एवं संभावित महत्व के बारे में जानकारी के अभाव के कारण इसके अत्याधिक उपयोग से जैवविविधता को आज बहुत हानि पहुंच रही है। इसका प्रमाण कुछ अन्य प्रजातियों तथा कुछ घरेलू वानस्पतिक किस्मों एवं पशु नस्लों का विलुप्त होना उजागर करता है। आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकीकरण के इस दौर में मानव गतिविधियों के कारण जैवविविधता तेजी से प्रभावित हो रही है। स्थानीय जैवविविधता पर प्रतिकूल असर दिन प्रतिदिन हो रहा है जिसके फलस्वरूप जल, चारा और ईंधन की अत्याधिक कमी महसूस हो रही है और बाढ़, भू-स्खलन तथा अकाल जैसी प्राकृतिक आपदायें बढ़ गई है।

मानव विकास के पूरे इतिहास के दौरान पृथ्वी ने मानव की आवश्यकताओं को पूरा किया। जब तक आबादी सीमित रही हमारा प्रकृति से निकट सम्बन्ध बना रहा। मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले नुकसान की भरपाई प्रकृति आसानी से कर लेती थी लेकिन ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ती गई, मनुष्य ने औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वाहनों की संख्या और अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्राकृतिक जैविक संसाधनों से पोषण के बजाये उनका अन्धाधुन्ध शोषण करना आरम्भ कर दिया। मानव गतिविधियों के कारण वायुमण्डल में ग्रीन हाऊस गैसों की मात्रा बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है तथा जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं जिससे वन्य जीव जन्तुओं व वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों पर प्रभाव हो रहा है।

भारत विश्व के 17 बड़े जैवविविधता सम्पदा पूर्ण देशों में से एक है। भारत का 2.5 प्रतिशत भूक्षेत्र विश्व में 7.5 प्रतिशत जैविक प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत पारम्पारिक **(Traditional)** और समसामायिक ज्ञान **(Indigenous knowledge)** का धनी है। हिमाचल प्रदेश में देश के कुल 6.5 प्रतिशत जीव-जन्तुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार पेड़-पौधों की 7.32 प्रतिशत प्रजातियां विद्यमान है जिससे प्रमाणित होता है कि यह मनमोहक पहाड़ी प्रदेश पेड़-पौधों व जीव-जन्तुओं की विविधता में अपनी पहचान रखता है, जिसका क्षेत्रफल मात्र देश का 1.7 प्रतिशत है।

जैवविविधता अधिनियम, 2002 और जैवविविधता नियम, 2004 है क्या ?

भारत सरकार ने जैवविविधता के उपयुक्त दोहन एवं सतत् विकास तथा जैवविविधता से होने वाले लाभों की बराबर हिस्सेदारी आबंटन हेतु जैवविविधता अधिनियम, 2002 बनाया है तथा साथ ही जैवविविधता नियम, 2004 को अधिसूचित किया जिससे देश के जैव संसाधनों का संचालन, उचित दोहन, सतत् विकास तथा संरक्षण किया जा सके। जैवविविधता नियम, 2004 के अर्न्तगत देश में राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसका कार्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जैवविविधता बोर्ड का गठन मुख्य सचिव, हि0 प्र0 सरकार की अध्यक्षता में किया गया है जिसके पांच सरकारी व पांच गैर-सरकारी सदस्य हैं। सदस्य सचिव (का. क.), राज्य विज्ञान, प्रौद्यागिकी एवं पर्यावरण परिषद, हिमाचल प्रदेश जैवविविधता बोर्ड के सदस्य सचिव हैं।

जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं:

- देश की जैव संसाधनों की पंहुच को नियमित करना ताकि जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का बराबर हिस्सा तथा जैव संसाधनों से सम्बन्धित समसामायिक ज्ञान भी प्राप्त हो सके।
- जैवविविधता का संरक्षण तथा सतत (**sustainable**) उपयोग करना।
- जैवविविधता से सम्बन्धित स्थानीय समुदायों की जानकारी का आदर व सुरक्षा तथा संरक्षण करना।
- जैवविविधता के सन्दर्भ में स्थानीय लोगों को जैव संसाधनों के संरक्षण एवं तत्सम्बन्धी ज्ञान तथा सूचना से होने वाले लाभों की बराबर हिस्सेदारी जैविक पणधारियों (**stakeholders**) में सुनिश्चित करना।
- विनाश की ओर अग्रसर हो रही जैविक प्रजातियों का संरक्षण एवं पुनर्वास।
- समितियों के गठन द्वारा जैवविविधता अधिनियम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारी संस्थानों का भाग लेना।
- जैवविविधता के विकास व संरक्षण हेतु जैवविविधता के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विरासत **(Heritage)** क्षेत्र घोषित करना।

जैवविविधता प्रबन्धन समितियों का गठन क्यो ?

जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत जैवविविधता प्रबन्धन समितियों का गठन स्थानीय स्वशासित ईकाई स्तर पर महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि

- जैवविविधता को आज के आधुनिक दौर में बढ़ती जनसंख्या तथा विकास गतिविधियों के कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है।
- आज मानव द्वारा जैविक संसाधनों का दोहन अवैज्ञानिक तौर तरीकों से लगातार किया जा रहा है। खासकर ऐसे जैविक संसाधन जो ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी तथा जड़ी बूटियों, मांस संबंधित जिससे इस प्रकार के जैविक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है तथा इन प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो रहा है ।
- जैविक संसाधनों से होने वाले लाभों के आबंटन का स्थानीय स्तर पर जैवविविधता स्टेक होल्डरज़ के लिए समान अवसर का अभाव है।
- जैवविविधता तत्सम्बन्धी पारम्परिक ज्ञान का विघटन हो रहा है ।
- कृषि भूमि में रासायनिक उर्वरकों तथा कीट पतंगों, फफूंद व खरपतवार नाशक रासायनिक दवाओं का लगातार उपयोग कृषि भूमि की मृदा शक्ति को कम कर रहे हैं तथा इसमें सूक्ष्म जैवविविधता के अस्तित्व को भी खतरा उत्पन्न हो गया है ।
- जैवविविधता से सम्बन्धित उद्यमों को बढ़ावा देने, जिससे स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके का अभाव है ।
- प्रदेश सरकार द्वारा शिकार पर प्रतिबन्ध के बावजूद भी जंगलों व वनों में अभी भी चोरी छिपे शिकार होता है जिससे बहुमूल्य जंगली जीवों के अस्तित्व को खतरा है ।
- पारम्परिक खेती व पशु प्रबन्धन का प्रचलन समाप्त हो रहा है ।
- बाहरी देशों से लाए गए खरपतवार जैसे लैन्टना, अजरेटम, पारथेनियम, युपेटोरियम और एरीजिरोन इत्यादि का प्रकोप दिन-प्रतिदिन प्रदेश में बढ़ता जा रहा है जो सरकारी व कृषि भूमि में फैल रहे हैं जिससे स्थानीय जैवविविधता समाप्त हो रही है ।
- जलीय जैवविविधता को विकास गतिविधियों, बाहरी प्रजातियों तथा रासायनिक उपयोग के कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है ।

जैवविविधता प्रबन्धन समितियों के कर्तव्य

- जैवविविधता प्रबन्धन समिति का कर्तव्य स्थानीय स्तर पर अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत जैव विविधता

- राज्य जैवविविधता बोर्ड या राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए विषयों में से किसी के सम्बन्ध में सलाह देना है।
- जैवविविधता प्रबन्ध समिति जैव संसाधनों और पारम्पारिक ज्ञान के प्रति पहुंच के लिए व्यक्ति विशेष या बाह्य फर्मों / एजेंसियों / संस्थाओं से फीस तय करके एकत्रित करना तथा जमा की गई ऐसी राशि के व्यय के ब्यौरों की सूचना का जैवविविधता दस्तावेज **(Register)** में अन्य लोगों की जानकारी हेतु उपलब्ध कराना।
- जैवविविधता प्रबन्ध समितियों द्वारा जैवविविधता दस्तावेज रखे जाएंगे और विधिमान्य किए जायेंगे।
- राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और राज्य जैवविविधता बोर्ड, जैवविविधता प्रबन्ध समितियों के व्यक्तियों को जैवविविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें

सदस्य सचिव (का.क)
हिमाचल प्रदेश जैवविविधता बोर्ड
राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् हिमाचल प्रदेश
एस.डी.ए. परिसर, कसुम्पटी, शिमला-9
दूरभाष न. 0177-2622490, फैक्स न. 0177-2620998

कामराज कायथ
प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी
हिमाचल प्रदेश जैवविविधता बोर्ड
राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद्, हिमाचल प्रदेश
34, एस.डी.ए. परिसर, कसुम्पटी, शिमला-9

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ मुद्रणालय, शिमला-4 द्वारा मुद्रित
2008-09